रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 17 अप्रैल, 1976
चैत्र 28, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1741/सत्रह-वि--1-66-76

लखनऊ, 17 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 को निरस्त करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974 का निरसन

2--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है :--

परन्तु ऐसे निरसन से,--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रकाशन के, जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो, या

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट माध्यम से, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, प्रसारित कोई रिपोर्ट या सामग्री के,

सम्बन्ध में सिविल या दाण्डिक, किसी कार्यवाही पर (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विचाराधीन हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ की जाय) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तद्नुसार ऐसी किसी कार्यवाही का निस्तारण उसी प्रकार किया जायगा, मानों उक्त अधिनियम का प्रवर्तन जारी हो और यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो ।

No. 1741/XVII-V-1—66-76

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Ki Karyawahiyan (Prakashan Ka Sanrakshan) (Nirsan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9, 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) (REPEAL) ACT, 1976

[U. P. Act no. 9 of 1976]

(AS PASSED BY THE UTTAR PRADESH LEGISLATURE)

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Legislature Proceedings (Protection of Publication) Act, 1974.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Proceedings (Protection of Publication) (Repeal) Act, 1976.

Repeal of U.P. Act no. 32 of 1974.

2. The Uttar Pradesh State Legislature Proceedings (Protection of Publication) Act, 1974 is hereby *repealed* :

Provided that such repeal shall not affect any proceedings, civil or criminal (whether pending immediately before the commencement of this Act or instituted or taken after such commencement) in respect of—

(*a*) any publication referred to in sub-section (1) of section 3 of the said Act, made before such commencement ; or

(*b*) any report or matter broadcast, before the commencement, by the means referred to in section 4 of the said Act, and accordingly, any such proceeding shall be disposed of as if the said Act had continued in force and this Act had not been enacted.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए०पी० 36 सा० (विधा०)—1976—650 (मे०) ।